

24/9/19

वकीलवादी उपस्थित वकीलवादी को  
बार-बार आवाज दिनाई। पुनः वकील  
वादी को दोपहर 3 बजे आवाज  
दिनाई गई। अन्तिम आवाज साँच  
5 बजे दिनाई गई। वकीलवादी  
व उनका पक्षकार कोई उपस्थित  
नहीं। अतः वाद वादी अदम  
हाजरी व अदम पेशी में खारिज  
किया जाता है पञ्जाबी नम्बर से  
कम होकर बाद तक वकील दाखिल  
दफ्तर ही सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर  
अलवर (राज०)

2019  
111

20/9/19